अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की चौवनवीं (54वीं) बैठक श्री एस आर राव, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 588 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 386 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 30 जून, 2012 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,13,605.54 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 9,20,243 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, एसईजेड से 3,64,477.73 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2010-11 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 15.39 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में पहली तिमाही के लिए अर्थात 30 जून, 2012 तक 1,18,321.56 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है जो वित्त वर्ष 2011-12 की समतुल्य अवधि में निर्यात की तुलना में लगभग 64 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 54.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) बालानगर मंडल, कुकटपल्ली नगरपालिका, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, आंध्र प्रदेश में **10.12** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स साइबरसिटी बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विकासक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

मद संख्या 54.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर निर्णय निम्नानुसार हैं :

(i) बल्लंदपुर गांव, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्रिटेक प्रोजेक्ट्स का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ गिए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 2.023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स प्रिटेक प्रोजेक्ट्स के अनुरोध को मंज़ूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम खराडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एयॉन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ए2जेड आनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुरोध को आस्थगित कर दिया क्योंकि सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि जांच के लिए प्रस्तावित करार के वित्तीय ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

मद संख्या 54.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

सीबीईसी के प्रतिनिधि ने अधिकृत प्रचालनों पर यह कहते हुए आपत्ति व्यक्त की कि ऐसी गतिविधियां प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित करने के लिए नहीं हैं। बताया गया कि अतीत में अनुमोदन बोर्ड द्वारा समान अनुरोधों को मंज़ूरी प्रदान की गई है क्योंकि वे मानदंडों के तहत अनुमत थे। इसके अलावा, विकासक ने बताया था कि ऐसे अधिकृत प्रचालनों के लिए उसके द्वारा कोई कर / ड्यूटी रियायत प्राप्त नहीं की जाएगी। तथापि, प्रस्ताव पर सीबीईसी की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया।

(ii) मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड जो कांचीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए इलेक्ट्रानिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां अनुमत नहीं हैं। इसलिए बोर्ड ने सह विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

(iii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) ग्राम बेहरामपुर, बलोला और बंधवारी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एवं इलेक्ट्रानिक के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया कि विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास अभी तक शुरू नहीं किया है। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध समय से पहले है और तद्नुसार प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 54.4 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) अच्युतपुरम और रामबिल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड से 905.21 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1300.82 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के भी अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

(ii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एमएडीसी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 10.12 हेक्टेयर की भूमि को विमुक्त करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कारपोरेशन (एमएडीसी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिस पर मैसर्स डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने सह विकासक के रूप में इंटरनेशनल स्कूल स्थापित किया है। इस अनुमोदन के साथ 8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स डॉ. डीवाई पाटिल एजुकेशनल एंटरप्राइजेज लिमिटेड को प्रदान किया गया सह विकासक का दर्जा भी वापस ले लिया गया है। यह अनुमोदन सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

(iii) गुड़गांव, फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 1.7275 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 12.9441 हेक्टेयर हो जाएगा। हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(क) विकासक द्वारा यथा प्रस्तावित सन्निकटता स्थापित करना।
(ख) एसईजेड में सन्निकटता स्थापित करने के लिए ऐसी संरचनाओं के निर्माण के लिए विकासक को कोई ड्यूटी रियायत उपलब्ध नहीं होगी।
(ग) विकासक द्वारा सन्निकटता स्थापित किए जाने के बाद ही अतिरिक्त क्षेत्रफल को अधिसूचित किया जाएगा।

(iv) वल्लारपदम, कोचीन में पोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए अधिसूचित की गई भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड से 4.8035 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 110.4465 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

मद संख्या 54.5 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम भामासरा, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रदीप ओवरसीज लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने 109.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम भामासरा, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स प्रदीप ओवरसीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

मद संख्या 54.6 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) विधान नगर टाउनशिप दुर्गपुर, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विधान नगर टाउनशिप, दुर्गापुर, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

मद संख्या 54.7 : खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स अक्षयपात्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बोर्ड को सूचित किया कि विकासक के अनुरोध पर गुजरात सरकार की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, बोर्ड ने यह भी नोट किया कि इस समय नए लोकेशन पर केवल 30.0782 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद लोकेशन में परिवर्तन के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि विकासक जब एसईजेड की स्थापना के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा कर ले तब वह नए औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है।

मद संख्या 54.3 : पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।" तद्नुसार, अनुरोधों पर निर्णय निम्नानुसार है :

(i) ग्राम बेहरामपुर एवं बलोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 13 जून, 2012 के बाद 6 माह तक की अवधि के लिए अर्थात 13 दिसंबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) त्रिक्काकारा गांव, कनायान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 20 अगस्त, 2012 के बाद 6 माह तक की अवधि के लिए अर्थात 20 फरवरी, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) इलांदैकुलम गांव, मदुरै I, मदुरै उत्तर तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) गंगैकोंडन, तिरुनवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) वडापालनजी गांव, मदुरै दक्षिण तालुक और किन्नीमंगलम गांव, तिरुमंगलम तालुक, मदुरै II, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vii) होसुर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) दूसरी बार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(viii) जगीर अम्मापलयम गांव, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ix) आरासुर गांव, पल्लाडम तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स डू डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(x) श्रीपेंरम्बदूर, तमिलनाडु में आईटी / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन इंडिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xi) सोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स रूद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xii) महादेवपुरा एवं कग्गाडासपुरा, केआर पुरम, व्हाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xiii) दीमापुर, नागालैंड में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स एचएन कंपनी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 29 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xiv) आईटी प्लॉट (आईआईएफ/3), एक्शन एरिया 2, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 दिसंबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xv) गौड़काशीपुर तथा एरिसल गांव, तहसील जतनी, जिला खुर्दा, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (इडको) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 24 अक्टूबर, 2012 के बाद 6 माह तक की अवधि के लिए अर्थात 24 अप्रैल, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xvi) भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अगस्त, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 24 अगस्त, 2012 के बाद 6 माह तक की अवधि के लिए अर्थात 24 फरवरी, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xvii) चेलेंबरा गांव में कक्कनचेरी, तिरुरंगाडी तालुक, मलप्पुरम जिला, केरल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 जुलाई, 2012 के बाद (6वें वर्ष के बाद) दूसरी बार बढ़ाने के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 5 जुलाई, 2012 के बाद 6 माह तक की अवधि के लिए अर्थात 5 जनवरी, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xviii) फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2012 के बाद (6वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 5 नवंबर, 2012 के बाद 6 माह तक की अवधि के लिए अर्थात 5 मई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 54.9 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

(i) ग्राम चीमेनी, कासरगोड जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 18 सितंबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 54.10 : सौरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में 3487.076 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि विकासक ने 1898 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है जो बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित भूमि से अधिक है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अब तक विकासक द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि की सन्निकटता पर विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड से रिपोर्ट प्रदान करने के लिए कहा। तद्नुसार अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 54.11 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 27 अगस्त 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड जो ओर्गाडम, तमिलनाडु में सिपकॉट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने बोर्ड को सूचित किया कि यूनिट भारत सरकार से एसआईपीएस स्कीम के विरुद्ध 20 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी की प्रतीक्षा कर रही है और 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद साइट पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यूनिट द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं और इसलिए विचार विमर्श के बाद 27 अगस्त 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

मद संख्या 54.12 : पांचवें साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 06 नवंबर, 2012 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो मैसर्स मंगलौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने काफी निवेश किया है तथा परियोजना पूर्ण होने के कगार पर है और इसलिए विचार विमर्श के बाद 6 नवंबर 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई।

मद संख्या 54.13 : प्रतिबंधित मदों के प्रापण के लिए एसईजेड की यूनिटों का अनुरोध

(i) एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिटों द्वारा डीटीए से मदर ऑफ पर्ल के प्रापण के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित यूनिटों के संबंध में सोने और चांदी के आभूषण में जड़ने के लिए डीटीए से मदर ऑफ पर्ल की खरीद के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

(क) मैसर्स सनजेवेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड
(ख) मैसर्स एलीगनाज़ा ज्वैलरी लिमिटेड
(ग) मैसर्स अदिति जेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड

तथापि, यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा।

(ii) प्रतिबंधित मदों के प्रापण के लिए मैसर्स एल एंड टी शिपबिल्डिंग लिमिटेड जो कट्टूपल्ली गांव, पोन्नेरी तालुक, तमिलनाडु में हैवी इंजीनियरिंग एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन निम्नलिखित प्रतिबंधित मदों की खरीद के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

मद का नाम	आईटी एचएस कोड	अपेक्षित मात्रा	अभ्युक्तियां
रडार	85261000	6	एक्स- बैंड रडोर के 3 शिप के लिए भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय से अंतिम प्रयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।
नाइट विजन गोगल	90049010	6	भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय से अंतिम प्रयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

उपर्युक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड एसईजेड में रक्षा यूनिटों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राधिकारी है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त की प्राप्ति पर डीआईपीपी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।
(ii) विदेश व्यापार नीति तथा आईसीटी (एचएस) कोड के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मदों के निर्यात को विनियमित किया जा सकता है।
(iii) डीआईपीपी, रक्षा उत्पादन विभाग तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से लाइसेंस की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए शामिल की गई विशेष शर्तों को रक्षा उत्पादन विभाग की सिफारिश पर डीआईपीपी द्वारा शामिल किया गया है, जिसने इस मामले में गृह मंत्रालय की राय ली थी।
(iv) डीटीए को आपूर्ति के प्रत्येक कंसाइनमेंट की विकास आयुक्त द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए।
(v) घरेलू क्षेत्र में बिक्री करते समय केवल सरकारी एजेंसियों को उपकरण के प्रापण की अनुमति होगी।
(vi) सभी कंसाइनमेंट के साथ सरकारी प्रापण एजेंसी के किसी अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाएगा

मद संख्या 54.14 : गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थित दो एसईजेड यूनिटों के विलय के लिए मैसर्स सैपियंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने इस निदेश के साथ अनुरोध को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया कि जो प्रस्ताव यूनिट अनुमोदन समिति / विकास आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष लाने की आवश्यकता नहीं है।

मद संख्या 54.15 : सन्निकटता में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध

(i) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रामनक्कापेटा गांव में बहु उत्पाद एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया।

(ii) बहु सेवा एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (आरएचएसएल) का अनुरोध

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि इस मामले में हुडा के दृष्टांत पर सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने की मांग की जा रही है, जिन्होंने द्वारका से खिड़की दौला तक नार्दर्न पेरिफरल रोड के निर्माण के लिए मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया कि एसईजेड की वैधता अवधि 20 जून 2012 को समाप्त हो गई है तथा विकासक द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया कि एसईजेड को क्रियाशील बनाने के लिए विकासक द्वारा कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने परियोजना की वैधता अवधि पुन: न बढ़ाने का निर्णय लिया। तद्नुसार हुडा एसईजेड से गुजरने वाले नार्दर्न पेरिफरल रोड के अंश के निर्माण का कार्य कर सकता है।

मद संख्या 54.16 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) आंध्र प्रदेश में दूसरे एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स आईस्पेस ग्लोबल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो सेरिलंगमपल्ली, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में नवयुग लिगाला एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

(ii) अपने लोकेशन को इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड - एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एमडब्ल्यूसी - आईटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंसपाप डाट कॉम जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

(iv) अपने लोकेशन को सोलिंगनल्लूर, तमिलनाडु में एलकॉट एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेरुंगलाटूर, चेन्नई में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने लोकेशन में परिवर्तन के लिए उपर्युक्त सभी अनुरोधों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी को यूनिट के अंतरण से उत्पन्न कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

मद संख्या 54.17 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीपीएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	पुणे डायनेस्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडीपीपीएल)	100.00 प्रतिशत

हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(ii) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के विकासक का नाम मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स आरएमजेड इकोवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए अनुरोध

बोर्ड ने नोट किया कि 28 नवंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संपूर्ण शेयरों को मैसर्स आरएमजेड इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और अब विकासक का नाम परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया गया है।। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने नाम बदलकर आरएमजेड इकोवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iii) कंपनी के नाम तथा शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स जेबीएसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो अंकलेश्वर के पास पनोली, भड़ूच जिला, गुजरात में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए मैसर्स जेबीएसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	**नाम**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
1	एचबीएस रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	34.30
2.	एचबीएस ग्रुप कंपनी जो व्यक्तियों का संघ है जिसमें उनके पार्टनर विपिन सी शाह और संदीप बी शाह के माध्यम से एचबीएस रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा अरिहंत डवलपर्स शामिल हैं।	35.70
3.	आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड	0.97
4.	आईआईआरएफ इंडिया रियल्टी वीआई लिमिटेड	29.03
	कुल	**100**

हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

मद संख्या 54.18 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) एसईजेड के बाहर कुछ विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की अनुमति न दिए जाने के विरुद्ध मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोटेक्निक लिमिटेड जो शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एविशन के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एसईजेड की यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन अपील स्वीकार की कि टो ट्रैक्टर जो एसईजेड की चारदीवारी के बाहर प्रचालन कर सकते हैं, उपयुक्त ढंग से कलर कोडेड होंगे ताकि उनकी पहचान डीटीए प्रचालकों द्वारा प्रचालित टो ट्रैक्टर से अलग हो सके। यूनिट अनुमोदन समिति वर्तमान मामले में अतिरिक्त शर्तें लगाने पर विचार कर सकती है ताकि सुनिश्चित हो कि राजस्व क्षति का कोई जोखिम नहीं है। तद्नुसार, निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अपील वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दी गई।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 54.19 : कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीईसी से टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर इस अनुरोध की जांच की जाएगी।

मद संख्या 54.20 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मंजरी बुदरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने प्रसंस्करण / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

प्रसंस्करण क्षेत्र में :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	अनुमोदित मात्रा
1.	विद्युत उत्पादन पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	20 मेगावाट
2.	कोल्ड स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड -20 डिग्री सेंटीग्रेड	 8365 वर्गमीटर 5580 वर्गमीटर
3.	रॉ स्टीम का उत्पादन एवं वितरण	45 टन प्रति घंटा
4.	प्योर स्टीम का उत्पादन एवं वितरण	30 टन प्रति घंटा
5.	कंप्रेस्ड एयर का उत्पादन एवं वितरण	2005 फीट प्रति मिनट
6.	प्योरीफाइड वाटर का प्योरीफिकेशन एवं वितरण	60 घनमीटर प्रति घंटा
7.	पोटेबल वाटर का भंडारण एवं वितरण	20000 घनमीटर
8.	डिस्टिल्ड वाटर का उत्पादन एवं वितरण	36000 टन/प्रति घंटा
9.	हॉट वाटर का उत्पादन एवं वितरण	20000 किलोवाट/प्रति घंटा
10.	नाइट्रोजन गैस प्लस अन्य गैसों का भंडारण एवं वितरण	205 वर्गमीटर
11.	साफ सफाई सेवा तथा पर्यावरण को जीवाणु मुक्त रखने की सेवाएं	असंख्य

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	फर्स्ट एड पोस्ट या 20 बिस्तर वाला क्लीनिक / पोली क्लीनिक / फार्मेसी / मेडिकल सेंटर, 50 बिस्तर का एक हॉस्पिटल	9295

(ii) टीकरी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) भोड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त तीन मामलों (ii), (iii) और (iv) में अनुमोदन बोर्ड ने 53वीं बैठक में दिए गए निदेश के अनुसार विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार किया। राजस्व विभाग ने राय व्यक्त की कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र मुख्य रूप से प्रसंस्करण क्षेत्र की यूनिटों को सहायता प्रदान करने हेतु अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने के लिए है और इसलिए आईटी / आईटीईएस एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस कार्यालय स्थान का कोई स्पष्ट औचित्य नहीं है क्योंकि एसईजेड से बाहर की संस्थाओं द्वारा इसका वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जा सकता है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस कार्यालय स्थान का निर्माण सहित अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक के उपर्युक्त अनुरोधों को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 54.21 : दाहेज एसईजेड में अपने परियोजना स्थल से एसईजेड क्षेत्र के बाहर जीआईडीसी डिस्पोजल प्वाइंट तक 508 एमएम व्यास की एमएस एफ्लुएंट पाइप लाइन ले जाने के लिए अनुमोदन के लिए मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दाहेज एसईजेड में परियोजना स्थल से एसईजेड के बाहर जीआईडीसी निस्तारण बिंदु तक 508 एमएम व्यास की एमएस निस्सारी पाइप लाइन लाने के लिए इस शर्त के अधीन मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड के एक अनुरोध को मंजूरी प्रदान की कि ड्यूटी लाभ एसईजेड के अंदर संचालित की गई गतिविधियों तक सीमित होंगे।

मद संख्या 54.22 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम तलोशी, तालुक इजतपुर, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2012 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महाराजा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विकासक ने 106.755 हेक्टेयर भूमि में से केवल 20 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसे एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था। इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 17 जून, 2012 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। विकासक औपचारिक अनुमोदन के लिए उस समय आवेदन कर सकता है जब एसईजेड की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि पर कब्जा सहित आवश्यक निर्धारित शर्तें पूरी हो जाएं।

मद संख्या 54.23 : एफएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स अरिहंत वर्ल्डवाइड लिमिटेड का अनुरोध

यूनिट अनुमोदन समिति में पुनर्विचार के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा इस मद को वापस ले लिया गया।

मद संख्या 54.24 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स थ्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए मैसर्स थ्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	सुप्रीत सिंह सूरी	33.333
2.	निर्मल सिंह	33.333
3.	विदुर भारद्वाज	33.333
	कुल	**100**

हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सह विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****